

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को मान्यता देने हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव

ग्रा0पं0- विरुनपुर

वि0ख0- औराई

जनपद- गढ़ी

ग्राम पंचायत में दिनांक 13/06/2023 को ग्राम पंचायत की एक बैठक आहूत किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया-


1- ग्राम पंचायत की एक बैठक ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया और उसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में चयनित किया गया है-

क्रम	सदस्य का नाम	वर्गीकरण (महिला / अनु0जा0 / जनजाति / पिछड़ा वर्ग / गरीबी रेखा के नीचे / भूमिहीन)	पदनाम (अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष / सदस्य)	सम्पर्क सूत्र मोबाईल न0
1	अनीतारानी	अनु0जाति	अध्यक्ष	8853487854
2	हर्षवर्धन	पिछड़ा वर्ग	सचिव	9956921232
3	जीयालाल	अनु0जाति	कोषाध्यक्ष	6353953631
4	शारदा प्रसाद	" "	सामान्य सदस्य	7043449020
5	प्रमिला देवी	पिछड़ा वर्ग	सामान्य सदस्य	
6	हेमामती	अनु0जाति	सामान्य सदस्य	9574547822
7	आशादेवी	अनु0जाति	सामान्य सदस्य	9867260637
8	दिलीप	अ-पिछड़ा वर्ग	सामान्य सदस्य	9956392551
9	वनाशशी प्रसाद	सामान्य	सामान्य सदस्य	6306229571
10	शिवमुषण	सामान्य	सामान्य सदस्य	8604531525
11	शामती देवी	पिछड़ा वर्ग	सामान्य सदस्य	9889591671
12	सुधा	अनु0जाति	सामान्य सदस्य	7388788010
13	रामकुमार	" "	सामान्य सदस्य	7379723687
14	लोलारख	" "	सामान्य सदस्य	9956613926
15	मनोज कुमार माझ	पिछड़ा वर्ग	सामान्य सदस्य	8318198355

2- पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के समन्वय में ग्राम्य विकास विभाग / पंचायती राज विभाग / राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन / राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं जिला प्रबन्धन ईकाई स्तर पर समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अपना कार्य करने की अनुमति दी गयी है।

3- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम हेतु धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई ताकि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं को ग्राम पंचायत में क्रियान्वयित कर सकें।

4- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अनुमति दी गई कि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता सम्बन्धित योजनाओं / सेवाओं हेतु रख-रखाव / उपयोग राशि निर्धारित अनुसार एवं भुगतान प्राप्त करें और भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में उचित कार्यवाही करें।



- 5- कार्यक्रम की धनराशि के प्रबन्धन हेतु ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को बैंक में खाता खोलने एवं उसके संचालन की अनुमति प्रदान की गई।
- 6- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को योजना की रूपरेखा बनाने एवं उसे क्रियान्वयित करने के स्तर पर नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार भुगतान करने एवं "Sign Off" हेतु अधिकृत किया गया। ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार जलापूर्ति एवं स्वच्छता की योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु तकनीकी विकल्पों पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।
- 7- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित सेवाओं हेतु उपयुक्त अधिकारी एवं सेवा प्रदाता एजेन्सी के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) एवं स्वीकृत पत्र (CONSENT) एवं अनुबन्ध पत्र (CONTRACT) हस्ताक्षरित करें।
- 8- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह नियमों अनुसार निर्णय सामग्री का उपार्जन कर उपलब्ध कराये तथा उस सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करें।
- 9- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उसकी समस्त गतिविधियों को करने में पूर्ण सहयोग एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- 10- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिये भी अधिकृत किया गया। तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता की सेवाओं के प्रबन्ध हेतु तैयार की गयी प्रणाली एवं सम्पत्ति क निरिक्षण में सहयोग प्रदान करें।
- 11- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह बहु-ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा बहु-ग्रामीण योजनाओं से सम्बन्धित अन्तर ग्राम सुविधाओं (यदि लागू हो तो) सामान्य सुविधाओं के संचालन प्रबन्धन एवं अधिकांश जलापूर्ति हेतु संयोजन करें।

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति के उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर:-

क्रम	सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर तथा नि० अगुलें
1	अनीतारानी	अध्यक्ष	अनीता
2	दुर्षबर्चन	सचिव	
3	जीषा लाल	कोषाध्यक्ष	जीषा लाल
4	शारदा प्रसाद	सामान्य सदस्य	शारदा प्रसाद
5	प्रमिला देवी	सामान्य सदस्य	-
6	जैप्रानी	सामान्य सदस्य	
7	आशा देवी	सामान्य सदस्य	आशा देवी
8	दिलीप	सामान्य सदस्य	दिलीप
9	बनारसी प्रसाद	सामान्य सदस्य	बनारसी प्रसाद
10	शिवभूषण	सामान्य सदस्य	शिवभूषण
11	गायत्री देवी	सामान्य सदस्य	गायत्री
12	अघा	सामान्य सदस्य	अघा
13	रामकुमार	सामान्य सदस्य	रामकुमार
14	लीलारख	सामान्य सदस्य	लीलारख
15	मनोज कुमार यादव	सामान्य सदस्य	Munesh Kumar

अनीता
प्रधान
वि० नं० ०१०० जिला